प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 27.03.2025

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के काशीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में दिनांक-20/03/2025 को अन्तर्गत धारा 64(2)(m)/351(3)/331(8) बी. एन. एस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना संग्रामगढ़ प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह का० आशीष चौहान, का०मन्नू सिंह, म०का०पूजा यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रमगढ़ के अन्तर्गत धारा 64(2)(m)/351(3)/331(8) बीएनएस से संबंधित वाँछित 01 अभियुक्त निलेश निर्मल पुत्र मिठाई लाल निवासी ग्राम प्रतापपुर चेरगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र संगामगढ़ के काशीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. निलेश निर्मल पुत्र मिठाई लाल निवासी ग्राम प्रतापपुर चेरगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह का० आशीष चौहान, का०मन्नू सिंह, म०का०पूजा यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 02 गैंगस्टर के विरुद्ध अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना सांगीपुर-

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1- अशफाक पुत्र इलियास निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ व 2- अरमान पुत्र साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा (जलेसरगंज) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 58/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गैंगलीडर व सदस्य- 1- अशफाक पुत्र इलियास निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ व 2- अरमान पुत्र साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा (जलेसरगंज) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दुष्कर्म जैसे अपराध किये गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0- 104/2024 धारा 376डी,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आपराधिक इतिहास-

01- (गैंग लीडर) अशफाक पुत्र इलियास निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

1- मु0अ0सं0- 104/2024 धारा 376डी,504,506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0- 106/2024 धारा 4/5 विस्फोस्टक पदार्थ अधिनियम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0- 33/2025 धारा 308(5),126(2),351(3) बीएनएस सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अरमान पुत्र साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा (जलेसरगंज) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

1- मु0अ0सं0-104/2024 धारा 376डी,504,506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0-196/2016 धारा 354क भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0-294/2023 धारा 323,452,504,506 भादवि व3(1)द,3(1)ध,3(2)VA एससी/एसटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी-

एसपी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गिये थे कड़े निर्देश-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या करने वाला 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र नवाबगंज के समरजीत के बाग से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26-03-2025 को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम झोकवारा के पास बाइक सवार वादी के परिजनों के साथ रास्ते पर खड़े 01 व्यक्ति द्वारा हमला कर देने, जिसमें 01 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल/उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 103 (1) BNS बनाम नामजद 01 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, उ0नि0 राजनारायण सिंह, उ0नि0 अमित कुमार चौहान व हे0का0 इन्दल सिंह, का0 विपिन चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना नवाबगंज के मु0अ0सं0 45/2025 धारा 103 (1) BNS से संबंधित वाँछित 01 अभियुक्त रामराज उर्फ पण्डित पुत्र अयोध्या प्रसाद सरोज निवासी झोकवारा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को मूखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र नवाबगंज के समरजीत के बाग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामराज उर्फ पण्डित पुत्र अयोध्या प्रसाद सरोज निवासी झोकवारा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 26.03.2025 समय 07.30 बजे शायं को मैंने रूपये की लालच में बुलेट मोटर साइकिल से जा रहे दो लोगों को रोक लिया। उनकी जेब से रूपये निकालने लगा तो उनके विरोध करने पर लकड़ी के डण्डे से जान से मारने की नियत से वार किया था । जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। इसी कारण मैं बाग में छिपा था और आप लोगों को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, उ0नि0 राजनारायण सिंह, उ0नि0 अमित कुमार चौहान व हे0का0 इन्दल सिंह, का0 विपिन चौधरी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षियों की सतर्कता से 02 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर के आरक्षियों ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

आरक्षी योगेश यादव, आरक्षी सूरज नाथ मौर्य ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली नगर के आरक्षी योगेश यादव, आरक्षी सूरज नाथ मौर्य को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहल्ला कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा से गैंगस्टर गैंगलीडर 1- जुनैद खान उर्फ अज्जू, व गैंगस्टर सदस्य ग्राम मोहल्ला आजाद नगर से 2- इम्तियाज उर्फ गाजी गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी योगेश यादव, आरक्षी सूरज नाथ मौर्य के सहयोग से आज दिनांक 27.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 02 वांछित अभियुक्तों 1- जुनैद खान उर्फ अज्जू पुत्र अमजद खान निवासी नई बस्ती बेगम वार्ड थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता - ब्लॉक नं0-69 कमरा नं0 818 कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना को0 नगर प्रतापगढ़ को ग्राम मोहल्ला कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा से व 2- इम्तियाज उर्फ गाजी पुत्र मो0 शकूर निवासी आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ ग्राम मोहल्ला आजाद नगर से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- जुनैद खान उर्फ अज्जू पुत्र अमजद खान निवासी नई बस्ती बेगम वार्ड थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता - ब्लॉक नं0-69 कमरा नं0 818 कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना को0 नगर प्रतापगढ।

2- इम्तियाज उर्फ गाजी पुत्र मो0 शकूर निवासी आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- जुनैद खान उर्फ अज्जू पुत्र अमजद खान निवासी नई बस्ती बेगम वार्ड थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता - ब्लॉक नं0-69 कमरा नं0 818 कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना को0 नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 330/23 धारा 379 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 667/23 धारा 411/413/465 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3-मु0अ0सं0 224/23 धारा 379/411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0-129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

2- इम्तियाज उर्फ गाजी पुत्र मो0 शकूर निवासी आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1-मु0अ0स0-745/17 धारा 324/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0स0-201/20 धारा 323/354 ख/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3-मु0अ0स0-1095/20 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4-मु0अ0स0-330/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

5-मु0अ0स0-16/25 धारा115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

6-मु0अ0सं0-129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली-गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरुआ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरुआ निवासी वादी के परिजनों को आरोपीगण द्वारा जमीनी विवाद/ हैण्डपम्प पर पानी भरने के विवाद को लेकर एक राय होकर लाठी डण्डा से मारपीट कर घायल करने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 254/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324, 325, 427, 504, 506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। थाना रानीगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर

साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 पवन यादव, का0 देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324, 325, 427, 504, 506 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम कसेरुआ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 पवन यादव, का0 देवेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी,

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को सिकरी कानूपुर बाजार के पास स्थित भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिकरी कानूपुर में फूल तोड़ने के विवाद को लेकर आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादिनी के पति को लात घूसा, लाठी- डंडा से जानलेवा हमला करने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कन्धई में दि0-15.03.2025 को मु0अ0सं0-57/25 धारा 3(5), 109, 115(2), 352, 351(1), 351(2) बीएनएस बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कन्धई पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 विनीत कुमार प्रजापति मय हमराह उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह, का0 पिन्टू चौहान, का0 बृजभान चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कन्धई में पंजीकृत मु0अ0सं0-57/25 धारा 3(5), 109, 115(2), 352, 351(1), 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त हरिकेश

उपाध्याय उर्फ दिनेश पुत्र गयाप्रसाद उपाध्याय निवासी ग्राम सिकरी कानूपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कन्धई के सिकरी कानूपुर बाजार के पास स्थित भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हरिकेश उपाध्याय उर्फ दिनेश पुत्र गयाप्रसाद उपाध्याय निवासी ग्राम सिकरी कानूपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि होली वाले दिन मेरे परिवार और मेरे पडोसी के बीच मारपीट हो गयी थी। जिसमें अपने बचाव में मैंने पडोसी को उसी लाठी से मार दिया जिससे मेरे विपक्षी को काफी चोट आयी थी।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 57/25 धारा 109/115(2),352,351(1),351(2),3(5) बीएनएस थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

2. मु0अ0सं0312/12 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

3. मु0अ0सं0175/12 धारा 359 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 विनीत कुमार प्रजापति मय हमराह उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह, का0 पिन्टू चौहान, का0 बृजभान चौहान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

अन्तर्गत धारा-281, 125ए/, 125बी, 105, 324(4) बीएनएस के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के चिरकुट्टी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना में प्रयुक्त ट्रेलर वाहन बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत पावर हाउस दरियापुर के पास एक ट्रेलर नं0 HR63C9429 ड्राइवर द्वारा शराब पीकर तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े व्यक्तियों व अन्य वाहनों में टक्कर मार दी थी। जिसमें 02 लोगों की तत्काल मृत्यु तथा 03 लोगों की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0-78/2025 धारा 281, 125ए/, 125बी, 105, 324(4) बीएनएस बनाम ट्रेलर वाहन चालक 01 नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 टेक सिंह मय हमराह उ0नि0 संतोष कुमार राय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-78/2025 धारा 281, 125ए/, 125बी, 105, 324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त दुर्गेश पाण्डेय पुत्र छगनलाल पाण्डेय निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 27.03.2025 को थानाक्षेत्र रानीगंज के चिरकुट्टी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दुर्गेश पाण्डेय पुत्र छगनलाल पाण्डेय निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 टेक सिंह मय हमराह उ0नि0 संतोष कुमार राय थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।